

12/03/22

पत्रावली राज राष्ट्रीय लोक न्यायालय में पेश हुई
 पहला उपास्थित प्रकरण में शर्मा सागे को
 कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली वाले जवाब
 दिनांक 14/03/2022 को पेश है।

14/03/22

पत्रावली पेश हुई वकील पहला उपास्थित
 प्रकरण में शर्मा सागे को कार्यवाही नहीं करने
 का बतलाना पत्र पेश किया। इस शर्मा सागे पत्र के बाद को ड्रॉप कर दिया
 गया है। इस कारण इस शर्मा सागे पत्र को जेरकर
 रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः शर्मा सागे
 पत्र ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल
 अमात लोक नम्बर ले इस की जर्ने।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को
 सरे इजलास हुआ गया।

